न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

1.श्री कालाराम पुत्र छगन जी, जाति-कोली, निवासी- लिलोरा, तह. रेवदर, जिला-सिरोही
2.श्री खुमाराम पुत्र छगन जी, जाति-कोली, निवासी- लिलोरा, तह. रेवदर, जिला-सिरोही
3.श्री रामाराम पुत्र छगन जी, जाति-कोली, निवासी- लिलोरा, तह. रेवदर, जिला-सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेवदर, जिला- सिरोही

राजस्व अपील संख्या: 11/2017

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री प्रकाश प्रजापत, अपीलार्थीगण की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी की ओर से

-: निर्णय :- दिनांक 26 जुलाई, 2018

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील नायब तहसीलदार, रेवदर द्वारा प्रकरण संख्या: 3/2017 में पारित निर्णय दिनांक 19.7.2017 बाबत ग्राम लिलोरा के खसरा संख्या 228 रकबा 1.10 बीघा किस्म नदी राजकीय बिलानाम भूमि का अपीलार्थीगण को पश्चात्वर्ती अतिकमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने, जुर्माना आरोपित करने एवं तीन माह के सिविल कारावास की सजा के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी की ओर से अपील की सुनवाई के दौरान पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया है। विवादित भूमि पर अपीलार्थीगण ने पश्चातवर्ती अतिक्रमण नही किया है एवं न ही अपीलार्थीगण को विवादित भूमि के मौके से पूर्व में भौतिक रुप से बेदखल किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में अपीलार्थीगण का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हुये बिना ही सिविल कारावास की सजा के आदेश पारित किये है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि अपीलार्थीगण ने विवादित भूमि के मौके पर से कब्जा हटा लिया है एवं मौके पर अब अपीलार्थीगण का कोई कब्जा नही है, इसलिये अपीलार्थीगण के विरुद्ध सिविल कारावास की सजा के पारित आदेश को निरस्त किया जावे। जबकि विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया हल्का पटवारी, धवली द्वारा अपीलार्थीगण के विरुद्ध संवत् 2074 में उक्त राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर नियमानुसार प्रकरण दर्ज किया

.....पेज दो पर

जाकर अपीलार्थीगण को पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किये गये एवं अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। प्रकरण में बाद जांच अपीलार्थीगण का उक्त राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होने से विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। अत: अपीलार्थीगण की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि हल्का पटवारी, धवली द्वारा अपीलर्थीगण के विरुद्ध संवत 2074 में ग्राम लिलोरा के खसरा संख्या 228 रकबा 1.10 बीघा किस्म नदी राजकीय बिलानाम भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण के विरुद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थीगण को पश्चातवर्ती अतिकमण बाबत नोटिस जारी किये गये। जिस पर अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुये, लेकिन बचाव में जवाब एवं साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत नही किये। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अवलोकन से अपीलार्थीगण का विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होता है, परन्तु अपीलार्थी पक्ष का कथन है कि ''अपीलार्थीगण द्वारा विवादित भूमि के मौके से कब्जा हटा लिया है।''

इस संबंध में तहसीलदार, रेवदर से विवाादित भूमि के मौके की रिपोर्ट तलब किये जाने पर तहसीलदार, रेवदर ने पत्र क्रमांक:राजस्व/2018/395 दिनांक 04.5.2018 के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थीगण ने विवादित भूमि पर अवैध रुप से निर्मित मकान/दुकान को ध्वस्त कर दिया है व कांटो की बाड हटा ली है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थीगण के विरुद्ध नरमाई का रुख अपनाते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के विरुद्ध सिविल कारावास की सजा के पारित आदेश को निरस्त किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है।

अत: अपीलार्थीगण की अपील आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, रेवदर के निर्णय दिनांक 19.7.2017 के द्वारा अपीलार्थीगण को विवादित भूमि से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के पारित आदेश को यथावत बहाल रखते हुए सिविल कारावास की सजा के आदेश को निरस्त किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(आशाराम डूडी) 26.07.18
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)